दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19/11/2015 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एच.एस. शुक्ला	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 एम0सी0 गुप्ता	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	प्रोफेसर, भूगोल विभाग	सदस्य
9.	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	प्रोफेसर, रसायन शास्त्र विभाग	सदस्य
10.	डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 नरेन्द्र प्रकाश राय	प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर	सदस्य
12.	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
13.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ शिक्षक, सेण्टएण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	सदस्य
14.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
15.	डॉ0 परमहंस पाठक	प्राणि विज्ञान विभाग	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 सुग्रीवनाथ तिवारी	भौतिक विज्ञान विभाग	विशेष आमंत्रित
17.	प्रो0 सुशील कुमार तिवारी	दर्शनशास्त्र विभाग	विशेष आमंत्रित
18.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कुलपति जी ने नये सदस्यों के साथ–साथ अन्य सदस्यों का भी स्वागत करते हुए परीक्षा समिति के जिन सम्मानित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनके प्रति आभार प्रकट किया।

कार्यवृत्त :

1. याचिका संख्या (सिविल मिस.) 36851/2015 के क्रम में श्री सहेन्द्र प्रताप अनुक्रमांक 31417 वर्ष 1982 बी0एस–सी0 भाग दो स्वामी देवानन्द पी0जी0 कालेज, मठलार, देवरिया के प्रमाण पत्र सत्यापन के संदर्भ में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के आलोक में गठित समिति की आख्या पर विचार।

   निर्णय–

   1. विश्वविद्यालय अपने स्तर से विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका से सम्बन्धित अनुक्रमांक 31411 से 31417 रेंज वाला पृष्ठ गायब होने व श्री सहेन्द्र प्रताप पुत्र श्री स्व0 श्री मेघू प्रसाद द्वारा फर्जी व कूटरचित तथाकथित उपाधि प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज करायें।
   2. महाविद्यालय, 'महाविद्यालय नाम पैड' से तथाकथित फर्जी अंकतालिका तैयार करने के सम्बन्ध में श्री सहेन्द्र प्रताप के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायें साथ ही इसमें संलिप्तता की भी जांच करावें।"

2. आनन्द प्रकाश सिंह द्वारा अरूण कुमार गिरि के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष 1983 अनुक्रमांक 29228 एवं बी0एस–सी0 अंतिम वर्ष 1984 अनुक्रमांक 1132472 डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ के परीक्षाफल के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना के क्रम में परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 10.09.2015 के क्रम में गठित समिति की आख्या पर विचार।

   निर्णय–जांच समिति के संस्तुति के अनुरूप विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका में संशोधन यदि वर्ष–1983 में हुआ है तो संशोधन के समय संशोधन कर्ता द्वारा बनाये गये लघु हस्ताक्षर क्या उसी संशोधनकर्ता का है। इस संदर्भ में समिति की संस्तुति कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ से दोनों हस्ताक्षर की जांच करा ली जाय, यदि हस्ताक्षर मिलान होता है/प्रमाणित होता है तो इसे सही मान लिया जाय, यदि नहीं प्रमाणित होती है तो इसे टेम्परिंग मानकर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जाय।

3. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के (06) छात्रों के प्रत्यावेदन जिसमें अध्यादेश के विपरीत दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी अगली कक्षा की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो गये हैं तथा बैकपेपर में दो बार से अधिक बार सम्मिलित कराया गया है के परीक्षाफल पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों के प्रत्यावेदन जिसमें अध्यादेश के विपरीत दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी अगली कक्षा की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो गये हैं तथा बैकपेपर में दो बार से अधिक बार सम्मिलित कराया गया है के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 के क्रम में पैसफिक कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी लच्छीपुर गोरखपुर के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया था कि–*"बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एवं बैचलर ऑफ पैथोलाजी (एम0एल0टी0) के ऐसे 11 अभ्यर्थियों को जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा अगली कक्षा की दी हुई परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हैं तो उक्त अंक सुरक्षित मानकर पिछली कक्षा जिसमें अनुत्तीर्ण हैं की सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न करा ली जाय, पिछले कक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अगले कक्षा का जो अंक सुरक्षित है परीक्षाफल पूर्ण कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा" के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही पूर्ण की जाय तथा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बैकपेपर के सम्बन्ध में अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय।*

4. प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा 2014 के प्रथम प्रश्नपत्र रिसर्च मैथोलोजी एवं द्वितीय प्रश्नपत्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन के अंकों क्रमशः 50–50 में उत्तीर्णांक अलग–अलग 50 प्रतिशत यानि 25–25 अंक निर्धारित है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व में जारी व्यवस्था (दिनांक 06/11/2012) जिसमें समस्त अधिष्ठाता व कुलपति के हस्ताक्षर हैं, के अनुरूप उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत रखा गया है, को ही इस वर्ष भी जारी रखा जाय। अगले वर्ष के लिए प्रो0 सुग्रीव नाथ तिवारी व अधिष्ठाता विज्ञान संकाय उत्तीर्णांक के सम्बन्ध में प्रस्ताव सम्बन्धित परिषद में प्रस्तुत करेंगे।

5. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/07/2015 के बिन्दु संख्या–2 पर सन्त विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया में दिनांक 22/05/2015 को विधि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के समय हुयी घटना के क्रम में प्राचार्य द्वारा माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में आख्या हेतु गठित समिति के क्रम में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग की आख्या/संस्तुतियों समिति ने निर्णय लिया कि–"सन्त विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया में दिनांक 22/05/2015 को विधि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के समय हुयी घटना के क्रम में प्राचार्य द्वारा माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में आख्या हेतु गठित समिति के क्रम में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग की आख्या/संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संस्तुतियों को आंशिक संशोधन के साथ निम्न रूप में स्वीकार किया गया।

I. श्री विशाल पाण्डेय पुत्र श्री विजय नारायण पाण्डेय एवं श्री तुषाकान्त पाण्डेय पुत्र श्री अनिल कुमार पाण्डेय का विश्वविद्यालय के परीक्षाओं से दो वर्ष के लिए वंचित किया जाय साथ ही महाविद्यालय को इन दोनों छात्रों को महाविद्यालय से निष्कासन हेतु लिखा जाय।
II. जिन 11 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गयीं/गायब रहीं एवं जिन 6 छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं बाद में बरामद हुईं इन समस्त छात्रों (11 + 6 = 17) को औसत अंक प्रदान कर दिया जाय।
III. सन्तविनोबा महाविद्यालय, देवरिया की विधि प्रथम वर्ष–2015 (प्रथम सेमेस्टर) की ट्यूटोरियल मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर सम्पन्न करा ली जाय।

निर्णय के आलोक में बिन्दु 1 में संशोधन पर विचार–

श्री विशाल पाण्डेय पुत्र श्री विजय नारायण पाण्डेय एवं श्री तुषाकान्त पाण्डेय पुत्र श्री अनिल कुमार पाण्डेय का परीक्षाफल 2015 निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षाओं से दो वर्ष के लिए वंचित किया जाय साथ ही महाविद्यालय को इन दोनों छात्रों को महाविद्यालय से निष्कासन हेतु लिखा जाय।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री विशाल पाण्डेय पुत्र श्री विजय नारायण पाण्डेय एवं श्री तुषाकान्त पाण्डेय पुत्र श्री अनिल कुमार पाण्डेय का परीक्षाफल 2015 निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षाओं से आगामी दो वर्ष के लिए वंचित किया जाय साथ ही महाविद्यालय को इन दोनों छात्रों को महाविद्यालय से निष्कासन हेतु लिखा जाय। (शेष बिन्दु II व III पूर्ववत रहेंगे।)

6. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 10/07/2015 के बिन्दु ग–(3) में लिए गये निर्णय के क्रम में अनूप पाण्डेय पुत्र श्री मोहन पाण्डेय द्वारा बी0ए0 भाग दो नेशनल पी0जी0 कालेज बड़हलगंज, गोरखपुर द्वारा दो लिए गये प्रायोगिक विषय में निर्णय लिया कि "विशेष स्थिति में दो प्रायोगिक विषयों की परीक्षा कराने हेतु परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया जाय तथा भविष्य में उदाहरण न माना जाय" प्रवेश समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अंकसुधार/बैक पेपर की परीक्षा के साथ परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है, अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–समिति ने कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

7. प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर ने अपने पत्र दिनांक 12/08/2015; प्राचार्य, हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीरनगर के पत्र दिनांक 09.09.2015 तथा प्राचार्य, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर के पत्र दिनांक 22.09.2015 के द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष एम0काम0 द्वितीय वर्ष के संस्थागत छात्रों का शुल्क चालान में त्रुटि के कारण अधिक जमा हो गया है समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि की मांग की है। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/07/2015 के बिन्दु–7 में समिति ने निर्णय लिया कि "महाविद्यालयों द्वारा वेबसाईट से भरे गये परीक्षाफार्मों के सापेक्ष निर्गत शुल्क चालान में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण जहाँ अधिक धनराशि जमा हो गई है, अधिक जमा धनराशि का समायोजन कर लिया जाय का निर्णय लिया है।" प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर, प्राचार्य, हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीरनगर, तथा प्राचार्य, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर समायोजन के बाद शुल्क वापस करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "महाविद्यालयों द्वारा वेबसाईट से भरे गये परीक्षाफार्मों के सापेक्ष निर्गत शुल्क चालान में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण जहाँ अधिक धनराशि जमा हो गई है, अधिक जमा धनराशि का समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि का कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त वापस कर दिया जाय।"

8. वशिष्ठ तिवारी बी0एस–सी0 भाग तीन एम0जी0पी0जी0 कालेज, गोरखपुर वर्ष–1990 ने अपने पिता का नाम राजकिशोर तिवारी के स्थान पर राजकेश्वर तिवारी का नाम संशोधन करने की मांग की है। नाम संशोधन करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वशिष्ठ तिवारी बी0एस–सी0 भाग तीन एम0जी0पी0जी0 कालेज, गोरखपुर वर्ष–1990 के पिता का नाम राजकिशोर तिवारी के स्थान पर राजकेश्वर तिवारी के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

9. हिना तवस्सुम पुत्री काजीमुहम्मद इब्राहिम, विधि भाग दो चतुर्थ सेमेस्टर सेण्टएण्ड्रयूज कालेज गोरखपुर वर्ष–2012 के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रश्न पत्र XVI तबियत खराब होने के कारण वर्ष 2013–14 की परीक्षा में परीक्षा नहीं दे पायी है। मानवीय आधार पर वर्ष–2015 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में, परीक्षा देने की मांग की है। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार के क्रम में संकायाध्यक्ष (विधि) ने प्रकारण को परीक्षा समिति में रखकर निर्णय लेने हेतु संस्तुति की है, तद्क्रम में विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "हिना तवस्सुम पुत्री काजीमुहम्मद इब्राहिम, विधि भाग दो चतुर्थ सेमेस्टर सेण्टएण्ड्रयूज कालेज गोरखपुर वर्ष–2012 के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रश्न पत्र XVI की परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर करा ली जाय।" इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाय।

10. आभा सक्सेना, एम0ए0 अंतिम वर्ष अनुक्रमांक 69003, वर्ष 1987 अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, बुला नाला, वाराणसी ने उपाधि की मांग की है। अंक तालिका कालेज द्वारा निर्गत है किन्तु विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका में लघु शोध का अंक नहीं चढ़ा है। विश्वविद्यालय के पर्ण में 64 अंक चढ़ा है। पर्ण के आधार पर सारणीयन पंजिका में संशोधन कर उपाधि निर्गत करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "आभा सक्सेना, एम0ए0 अंतिम वर्ष अनुक्रमांक 69003, वर्ष 1987 अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, बुला नाला, वाराणसी के लघुशोध का प्राप्तांक सारणीयन पंजिका में चढ़ाकर उपाधि निर्गत कर दिया जाय।"

11. स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा 2015 में आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया के क्रम में महाविद्यालय द्वारा त्रुटिवश विषयों में परिवर्तन हो गया है, जिसके क्रम में संशोधित विषय में महाविद्यालय द्वारा परीक्षा करा ली गयी है। विषय परिवर्तन की अनुमति पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा 2015 में आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया के क्रम में महाविद्यालय द्वारा त्रुटिवश विषयों में परिवर्तन हो गया है, जिसके क्रम में संशोधित विषय में महाविद्यालय द्वारा परीक्षा करा ली गयी है। विषय परिवर्तन की अनुमति दे दिया जाय"

12. गुंजन पाण्डेय पुत्री श्री रूप नाथ पाण्डेय, अनुक्रमांक 7767040019 बी0एड0 वर्ष 2014 इन्दिरा गांधी गर्ल्स कालेज, गोरखपुर में अपने नाम तथा पिता के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। गुंजन राय पुत्री श्री रूप नाथ के स्थान पर गुंजन पाण्डेय पुत्री श्री रूप नाथ पाण्डेय के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "गुंजन पाण्डेय पुत्री श्री रूप नाथ पाण्डेय, अनुक्रमांक 7767040019 बी0एड0 वर्ष 2014 इन्दिरा गांधी गर्ल्स कालेज, गोरखपुर के गुंजन राय पुत्री श्री रूप नाथ के स्थान पर गुंजन पाण्डेय पुत्री श्री रूप नाथ पाण्डेय का नाम संशोधन कर दिया जाय।

13. परीक्षा के प्रश्नपत्र के परिसीमन (Moderation) हेतु सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष एवं उनके सहयोगी को प्रतिकक्षा की दर से पारिश्रमिक देने पर विचार। (प्रो0 लाल जी त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग का प्रस्ताव प्रस्तुत है)

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. सत्र 2015–16 की (1) वार्षिक परीक्षा, (2) सेमेस्टर परीक्षा (3) वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा कराने (4) वार्षिक परीक्षा 2015–16 के क्रम में बी0काम0 एवं एम0काम0 की परीक्षा शुरू में ही प्रारम्भ कराने पर (5) मुख्य परीक्षा एवं बैक पेपर अंक सुधार की परीक्षा का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र के साथ बनवाने (6) वार्षिक परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण पर विचार।

निर्णय–वार्षिक परीक्षाएं 03 मार्च 2016 से एवं वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाएं 15 जनवरी 2016 से तथा बी0काम0 एवं एम0काम0 की परीक्षाएं शुरू में कराने का समिति ने निर्णय लिया। सेमेस्टर परीक्षाएं शैक्षणिक कैलेन्डर के अनुरूप दिसम्बर माह में कराये जाने के निर्णय की सहमति प्रदान की।

यह भी निर्णय लिया गया कि वार्षिक मुख्य परीक्षा एवं बैकपेपर/अंकसुधार का प्रश्नपत्र मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र के साथ ही बनवाया लिया जाय। जहाँ तक सम्भव हो दोनों प्रश्नपत्रों के निर्माता अलग–अलग रहें। लेकिन जिन विषयों में इसमें व्यवहारिक कठिनाई आ रही हो वहाँ एक ही प्रश्नपत्र निर्माता से दोनों प्रश्नपत्र बनवाया जा सकता है। वार्षिक परीक्षा के केन्द्र निर्धारण हेतु सर्वसम्मत्ति से एक समिति गठन किया गया जो निम्नवत होगी–

1.प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता विधि संकाय–संयोजक।

2.प्रो0 एस0के0 दीक्षित, भूगोल विभाग।

3.डॉ एन0पी0 राय, प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर।

2. प्रबन्धक, बाबू जंगी सिंह महाविद्यालय, बढ़या चौक, पीपीगंज, गोरखपुर ने पत्र दिनांक 26.04.2012 एवं 02.05.2012 द्वारा बी0ए0 भाग एक सत्र 2011–12 में जमा शुल्क की वापसी की मांग के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02.07.2012 में समिति ने "सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शुल्क वापस करने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है।"
पुनः यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.07.2015 के बिन्दु 8 पर रखा गया था, जिसे समिति ने अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया।

निर्णय–विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से शुल्क वापस करने सम्बन्धी प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया।

3. कुमारी पूनम मद्धेशिया बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2002 अनुक्रमांक 39507 का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.07.2015 के बिन्दु 4 पर रखा गया था, जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि "महाविद्यालय से भी अभिलेख (सारणीयन पंजिका) की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लिया जाय तथा ई0डी0पी0 से भी वर्ष 2002 का अंक प्रमाणित करा कर पूरे पृष्ठ के अनुक्रमाकों का विवरण सहित अंक प्राप्त करा लिया जाय," के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य का पत्र प्राप्त हो गया है, जिसमें उल्लेख है कि महाविद्यालय में बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2002 की सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक 39501 से 39515 तक का पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। ई0डी0पी0

सेल प्रभारी द्वारा अनुक्रमांक 39501 से 39515 तक के सारणीयन पंजिका का विवरण कम्प्यूटर डाटा के अनुसार सत्यापित कर उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त अभिलेखों के क्रम में प्रकरण पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि "कुमारी पूनम मद्धेशिया बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2002 की सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक 39501 से 39515 तक का पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। ई0डी0पी0 सेल प्रभारी द्वारा अनुक्रमांक 39501 से 39515 तक के सारणीयन पंजिका का विवरण कम्प्यूटर डाटा के अनुसार सत्यापित कर उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त अभिलेखों के आधार पर परीक्षाफल पूर्णकर अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।"

4. कुमारी स्वाती मिश्रा के प्रत्यावेदन मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 36889/2012 के क्रम में पारित आदेश 14.08.14 के क्रम में स्वाती मिश्रा पुत्री स्व0 विश्वनाथ मिश्रा, बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2010 अनु0 3111450508, केन्द्र– स्वामी देवानन्द डिग्री कालेज, मठलार, देवरिया का परीक्षाफल मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्नपत्र में पूर्व से प्राप्त अंक 48/100 को रिजर्व मानकर अर्थशास्त्र प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र में बैकपेपर से प्राप्त अंक जोड़कर परीक्षाफल घोषित किये जाने पर विचार।

मा0 न्यायालय के निर्णय का अंश–

"In respect of the above submission, Sri B.D. Pandey, learned counsel for the University, sought instructions from the University and, on the basis of the instructions received by him, has **informed the Court that if the court considers it appropriate that the petitioner be allowed to give her examination for the papers in which she had failed, as back papers,** the University will hold the examinations. ..... For the said purpose, the petitioner may file an application before the Controller of Examination of the University, within two weeks from today. Upon receiving such application, the Controller of Examinations will inform the petitioner of the formalities which she has to complete, as also the time frame in which she has to complete those formalities. Upon completion of those formalities by the petitioner she will be informed of the date for the back paper examinations and would also be issued an admit card for the said purpose. Such formalities should be completed with expedition so that the petitioner is able to give her back paper examinations whenever the next regular examinations will be held. Thereafter, the University will declare the result of the petitioner in the light of the marks obtained by her in the **aforesaid back paper examinations.**"

निर्णय–विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि " अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्नपत्र में पूर्व से प्राप्त अंक 48/100 को रिजर्व मानकर अर्थशास्त्र प्रथम एवं तृतीय प्रश्नपत्र में बैकपेपर से प्राप्त अंक जोड़कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

5. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हरैया, बस्ती ने अपने पत्र दिनांक 20.12.2015 के द्वारा सूचित किया है कि लक्ष्मी वर्मा, बी0ए0 भाग दो वर्ष 2009 अनु0 2060500012 में गृहविज्ञान प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र में अंकसुधार की परीक्षा में सम्मिलित हुई है। महाविद्यालय त्रुटि के कारण अनु0 2060500012 के स्थान पर 3062140022 पर परीक्षा दिलायी गयी है। उसे संशोधित करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि "अनुक्रमांक का संशोधन कर दिया जाय।"

6. जनपद–सिद्धार्थनगर, बस्ती महराजगंज व संतकबीरनगर के महाविद्यालय जो सत्र 2015–16 से 'सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर' से सम्बद्ध हो चुके हैं के स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष सत्र 2014–15 की परीक्षा के बाद भूतपूर्व छात्र हो गये हैं, के परीक्षा फार्म भरवाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–इस सन्दर्भ में परीक्षा नियंत्रक ने सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 443/सत्तर–1–2015–20(6)/13 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 16/06/2015 द्वारा जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या–2 में वर्णित अंश –

"उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों और इस निमित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में से किसी भी महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र को, जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की उपाधि के लिये अध्ययन कर

रहा था या उसके लिये परीक्षा में बैठने के लिये पात्र था, उक्त उपाधि के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायेगी और ऐसे छात्र के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिये दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा जो ऐसी परीक्षाफल घोषित करेगा और तदुपरान्त सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिये समक्ष होगा।" से समिति को अवगत कराया।

कई सदस्यों ने किसी–किसी महाविद्यालय में भूतपूर्व के छात्रों के संख्या कम होने तथा इनका परीक्षा कराने की व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत सुझाव दिया कि "सम्बन्धित महाविद्यालयों का रिकार्ड सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को हस्तगत कर दिये जायं तथा वार्षिक परीक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रणाली को छोड़कर) सत्र 2014–15 के भूतपूर्व छात्रों की परीक्षा कराने का अनुरोध कर लिया जाय।"

अन्त में यह निर्णय हुआ कि इस सन्दर्भ में विधिक राय प्राप्त कर लिया जाय तदोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही किया जाय।

7. अखिलेख कुमार पाण्डेय विधि तृतीय वर्ष (षष्ठ सेमेस्टर–2014) अनुक्रमांक 7701480055 के आवेदन पत्र के क्रम में छात्र द्वारा पेपर–XXIX क्लीनिकल कोर्स–3 की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ लेकिन पर्ण में छात्र को अनुपस्थित दर्शाया गया है, जिसके क्रम में महाविद्यालय द्वारा मूल P-7 प्रस्तुत किया गया है। विधि विभाग के सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा P-7 पर इस छात्र के हस्ताक्षर पर प्रश्नचिन्ह उठाया गया है व इसे परीक्षा समिति को संदर्भित करने हेतु अनुरोध किया है। तद्क्रम में प्रकरण पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से पी–7 के अवलोकनोपरान्त इस प्रकरण को अस्वीकार किया।

8. विश्वविद्यालय अध्यादेश (Ordinance) में परीक्षा समिति के गठन के विन्दु सं0–9 में प्रावधानिक व्यवस्था "Such other teachers not exceed two in number as may be coopted by the examination committee of same as members of the committee for a period of one year" के क्रम में परीक्षा समिति में दो सम्मानित के क्वाप्ट सदस्यों के मनोनयन पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ0 सुधाकर लाल को कोआप्टेड सदस्य के रूप में मनोनित किया। महाविद्यालय शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में किसी नाम पर सहमति नही बनने के कारण निर्णय नहीं हो सका।

9. श्री राजेन्द्र कुमार शाही पुत्र श्री जय प्रकाश बी0ए0 भाग–3, पी0जी0 कालेज बनकटा शिवसल्लहपुर, देवरिया से 2012 में उत्तीर्ण है। उनके द्वारा बी0ए0 भाग–1 अनुक्रमांक 3011301611 बैकपेपर/अंकसुधार – 2010 की परीक्षा में सम्मिलित है, जिसमें हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र में अनुपस्थित दर्शा कर परीक्षाफल घोषित है, जबकि परीक्षार्थी परीक्षा में बैठा है। जिसके क्रम में प्राचार्य द्वारा P-7 प्रस्तुत किया गया है। इनके परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि "श्री राजेन्द्र कुमार शाही द्वारा बी0ए0 भाग एक अनुक्रमांक 3011301611 बैकपेपर/अंकसुधार वर्ष–2010 हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र में औसत के आधार पर अंक आवंटित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियन्त्रक

कुलपति